राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक –प.1(1)(56) निमअ/स्था/2015/पार्ट/ 19856 जयपुर, दिनांक : 29/9/2020

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 10(1) प्रसु/अनु–1/2012 दिनांक 24.05.2013 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से समस्त अधिकारी/कर्मचारियों अपने कर्तव्यों निर्वहन के दौरान किसी टिप्पणी, नोट जारी किये जाने वाले पत्रादि एवं अन्य दस्तावेजों पर किये जाने वाले हस्ताक्षरों के नीचे अपना पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जावें।

अतः उक्त के क्रम में निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त प्रभारी अधिकारियों एवं कार्य निष्पादन अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि विभागीय कार्य संपन करने के दौरान किसी टिप्पणी, नोट, जारी किये जाने वाले पत्रादि एवं अन्य दस्तावेजों के नीचे अपना पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित करते हुए कार्य संपादित करना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.
महिला अधिकारिता

क्रमांक –प.1(1)(56) निमअ/स्था/2015/पार्ट/19857-87 जयपुर, दिनांक : 29/9/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त प्रभारी अधिकारियों एवं अधिकारी/कर्मचारीगण, मुख्यालय।
5. प्रोग्रामार महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.